न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2017/ 1802 दिनांक 21/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 357/12 अनवान पनाराम बनाम दुर्गाराम वगैरा में न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2017 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 357/12 अन्तर्गत धारा 251 (क) Rt Act में निर्णय दिनांक 15.07.2017 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2017 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 357/12 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

प्रार्थी :– 1. पनाराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट, निवासी कितनोरिया
हाल निवासी : सदराम की बेरी (सांवा), तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. दुर्गाराम 2.सताराम पि. चूनाराम जाति सुथार
निवासी : सदराम की बेरी (सांवा), तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. मैनेजर, एसबीबीजे सेड़वा।

वकील प्रार्थी :– **श्री वीरमाराम धारासर**

विप्रार्थीगण वकील :– **श्री पन्नाराम सुथार**

निर्णय

दिनांक 15/2/17

प्रार्थी पनाराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी निवासी कितनोरिया, हाल निवासी : सदराम की बेरी (सांवा), तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थी का खातेदारी जोत मौजा सदराम की बेरी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा नं. 498 रकबा 29.15 बीघा स्थित है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थी की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थी अपनी जोत में जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थी को नया 25 फीट का रास्ता दिया जावे।

जिसके संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 15.06.2015 को पारित किया गया। जिसके विरूद्ध न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर में अपील की गई। पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई। जो दर्ज रजिस्टर की गई। उभयपक्षकारान को सूचना के नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नाराम सुथार ने वकालतनामा पेश किया । जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली शामिल की गई।

पत्रावली लोक अदालत कोर्ट कैम्प सेड़वा में पेश हुई। उभयपक्षकारान पक्षकारान उपस्थित हुए।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान से लोक अदालत की भावना से समझाईश की गई। समझाईश करने पर आपसी सहमति बन पाई। जिस पर भू.अ.नि. सोनड़ी को सहमति से दिये जाने वाले रास्ते की मौके पर जाकर मौका फर्द तैयार

कर पेश करने के निर्देश दिये गये। भू.अ.नि. सोनड़ी ने मौके पर जाकर पुनः आपसी सहमति से दिये जाने वाले रास्ते की मौका फर्द व नक्शा पेश किया जो पत्रावली शामिल किया गया। उभयपक्षकारान ने राजीनामा पेश किया। जो पत्रावली शामिल किया गया। आपसी सहमति से तैयार मौका फर्द तथा अपसी राजीनामा अनुसार रास्ता सड़क से खसरा सं. 497 व 498 के सेड़े पर देना तय हुआ । प्रतिवादीगण की भूमि खसरा सं. 729/496 में से 00.12 बीघा के रास्ता से (20 फीट) खसरा सं. 830/498 तक एवं इसके बाद खातेदार पेमारा ने अपनी भूमि में से 00.08 बीघा भूमि देना तय किया जिसका पेमाराम ने समर्पण पेश किया। प्रतिवादी दुर्गाराम की रहवासी ढाणी जो दोरान रास्ता प्रक्रिया बनाई गई को हटाने हेतु दुर्गाराम ने कीमत लेकर हटाने की सहमति दी। इस ढाणी को दुर्गाराम अकेले ने बनायी है। जिसको रास्ते से हटाने को तैयार है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में इस खसरा सं. 729/496 में से रास्ता के लिए 173100/– रूपये राजकोष में जमा करवाये थे जिस राशि का विभाजन मौका फर्द अनुसार किया जाना तय हुआ । जिसके अनुसार भूमि की कीमत व ढाणी की कीमत का भुगतान दुर्गाराम को कुल 138480/– तथा सताराम को 34620/– रूपये का भुगतान करना होगा। जिसमें दोनों प्रतिवादी सहमत है।

जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी द्वारा जिन खसरों से रास्ता चाहा गया है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	729/496	27.02	बा.दो.	20 फीट	00.12	जाणियों की बस्ती	दुर्गाराम, सताराम पि.चूनाराम कौम सुथार। सा.कितनोरिया खातेदार । रहन : एसबीबीजे शाखा सेड़वा में।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.07.2017 एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. क्रमशः 729/496 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा इस में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान हो चुका है और पूर्व में राजकोष में राशि 173100/- जमा हो चुकी है। जिसको विप्रार्थीगण को निम्नानुसार वितरण की जानी है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में इस खसरा सं. 729/496 में से रास्ता के लिए 173100/- रूपये राजकोष में जमा करवाये थे जिस राशि का विभाजन मौका फर्द अनुसार किया जाना तय हुआ । जिसके अनुसार भूमि की कीमत व ढाणी की कीमत का भुगतान दुर्गाराम को कुल 138480/- तथा सताराम को 34620/- रूपये का भुगतान करना होगा। जिसमें दोनों प्रतिवादी सहमत है।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में विप्रार्थी दुर्गाराम की रहवासी ढाणी जो दोरान रास्ता प्रक्रिया बनाई गई को हटाने हेतु दुर्गाराम ने कीमत लेकर हटाने की सहमति दी। इस ढाणी को दुर्गाराम अकेले ने बनायी है। जिसको रास्ते से हटाने को तैयार है। जिसकी क्षतिपूर्ति राशि 103860/- रूपये व रास्ते हेतु देय भूमि की क्षति पूर्ति राशि 34620/- कुल 138480/- रूपये देने के आदेश दिये जाते है तथा विप्रार्थी सं. 2 सताराम को रास्ते के क्षतिपूर्ति राशि 34620/- रूपये दिये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) - (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 15.07.2017 एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उक्त खसरा सं. 729/496 में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :-

1. नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "**रास्ता**" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
2. प्रार्थी को उक्त चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
3. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 15.07.2017 को लोक अदालत कोर्ट कैम्प सेड़वा में दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2017 को कोर्ट कैम्प सेड़वा मे सुनाया गया।

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
चौहटन

मौकाफर्द -

आज दिनांक 15/7/2017 को श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के राजस्व वाद सं० 357/12 एवं राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के अपील सं० 91/2015 अनवान दुर्गाराम बनाम पनाराम मे पारित निर्णय के अनुसार ग्रामजाणीयो की ~~[illegible]~~ बस्ती के ख०नं० 729/496 रकबा 27-02 बीघा बा०डो० मे से 2 51 A के तहत चाहे गये रास्ता की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु वादी एवं प्रतिवादीगण के साथ मौके पर पहुंचा। आपसी राजीनामा अनुसार रास्ता सड़क से ख०नं० 497 व 498 के सेड़े पर देना तय हुआ। प्रतिवादी गण की भूमि ख०नं० 729/496 मे से 0-12 बीघा बा०डो० उत्तर के रास्ता से (20 फीट) ख०नं० 830/498 तक एवं इसके बाद 0-08 भूमि देना बाबत पेमाराम ने अपनी भूमि मे से समर्पण पेश किया है। तय किया। जिसका पेमाराम ने समर्पण पेश किया है। प्रतिवादी दुर्गाराम की रहवासी ढाणी जो निर्माण की को हटाने ~~[illegible]~~ दुर्गाराम ने कीमत लेकर सहमति दी। इस ढाणी को श्री दुर्गाराम के अकेले ~~[illegible]~~ बनाई है। जिसको दुर्गाराम रास्ता हेतु हटाने को तैयार है। इस प्रकार आपसी राजीनामा से भूमि की कीमत व ढाणी की कीमत के आधार पर रास्ता हेतु भूमि देना तय हुआ। वादी उत्तर पूर्व मे इस ख०नं० 729/496 मे से रास्ता के लिए 173100/-रूपये जमा

Ex court

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राजकोष के जमा करवाये गये है। जिसका विभाजन निम्न प्रकार किया जाना तय हुआ -

क्र.सं.	नाम ग्राम	ख.न.	रकबा	किस्म भूमि	प्रस्तावित रास्ता की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में भूमि (बीघा)	खातेदार का नाम	राशी
1	जागेरियों की बस्ती	729/496	27.02	बा०दो०	20 फीट	0-12	① दुर्गाराम s/o चुन्नाजी सुथार	34620/-
							दुर्गाराम की रहवासी ढाणी भूमि की कीमत ढाणी की कीमत	103860/-
							② सताराम s/o चुन्नाजी सुथार	34620/-
							योग —	173100-

उपरोक्तानुसार भूमि की कीमत व ढाणी की कीमत का भुगतान दुर्गाराम को कुल 138480/- तथा सताराम को 34620/- भूमि की कीमत का भुगतान किया जाना उचित रहेगा। जिसके दोनों खातेदार सहमत है। नक्शा मौका संलग्न है। फर्द मौका मौके पर तैयार की जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये।

(signature) 15/3/17

ILR सोनड़ी

A/c Count पन्नाराम

दुर्गाराम

सताराम

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Chhaganlal नरसींगाराम

भीखाराम

उत्तर

नक्शा किश्तवार (आंशिक)

ग्राम [illegible] ([illegible])

प्रमाण :— 1" = [illegible]

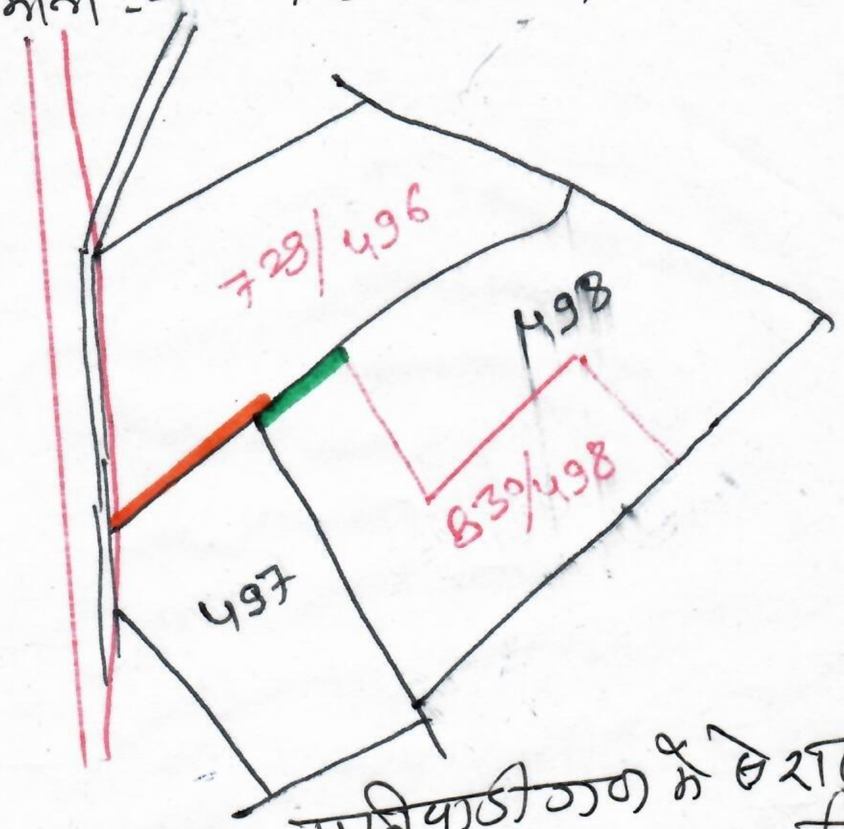

प्रतिवादीगण के रास्ता की भूमि 0-12 बीघा

प्रेमराज द्वारा [illegible] भूमि 0-08 बीघा

Ex [illegible]

उपखण्ड अधिकारी

सीयाराम

[illegible]